भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4597
उत्तर देने की तारीख : सोमवार, 22 जुलाई, 2019
31 आषाढ़, 1941 (शक)

विरासत उप-नियम

4597. श्रीमती प्रतिमा भौमिक:
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एएसआई अधिनियम के तहत अभी तक तैयार किए गए और अधिसूचित किए गए विरासत उप-नियमों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) देश भर में सभी सूचीबद्ध स्मारकों हेतु उप-नियमों को तैयार करने में हुई अत्यधिक देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) देश भर में सभी संरक्षित स्मारकों हेतु विरासत उप-नियमों को यथा शीघ्र बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) : 86 स्मारकों से संबंधित विरासत उप-नियम तैयार कर लिए गए हैं। प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अनुसार विरासत उप-नियमों को संसद में रखा जाना है। अभी तक 28 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के विरासत उप-नियमों से संबंधित दस्तावेजों को संसद में रख दिया गया है।

शेष 58 स्मारकों से संबंधित विरासत उप-नियम क्षेत्रीय निदेशकों से प्राप्त हो गए हैं।

(ख) : विरासत उप-नियमों के लिए सर्वेक्षण प्लान मूल आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त विरासत उप-नियमों को बनाने के लिए सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सत्यापन, ऐतिहासिक सूचना, विद्यमान विकास योजना, स्थानीय निकायों के विनियम आदि अपेक्षित है, जो इस प्रक्रिया को विलंबित करते हैं।

(ग) : भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सभी मंडल कार्यालयों के साथ-साथ क्षेत्रीय निदेशकों को निर्देशित किया गया कि विरासत उप-नियमों की तैयारी को सुकर बनाने के लिए आउट सोर्सिंग के माध्यम से सर्वेक्षण योजना तैयार करें। इसके अतिरिक्त, इस संबंध में क्षेत्रीय निदेशकों को सहायक कर्मचारी उपलब्ध कराए गए हैं।